परिपत्र

पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/वाणिज्य कर/08–09/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनःःदिनांक 28 फरवरी,2009

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

मुख्यालय के समक्ष इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्रस्तुत हुए हैं कि वैट अधिनियम के अन्तर्गत में जलौनी लकडी को अनुसूची II (ख) के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से करदेयता की श्रेणी में रखे जाने के बावजूद भी वृक्षो की जडों जिनका उपयोग जलौनी लकडी के रुप में ही होता है, पर अधीनस्थ अधिकारी अवर्गीकृत वस्तुओं की भॉति जडों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित कर रहे हैं।

जडों की करदेयता पर मुख्यालय पर विचार किया गया। प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक को लिखे पत्र संख्या–3547/व्यापार कर दिनॉक 8–12–05 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जड़ों का प्रयोग जलौनी लकड़ी के रुप में ही किया जाता है। व्यापार कर व्यवस्था मे भी जड़ों पर जलौनी लकड़ी के समान ही कर अदा किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक सहारनपुर विक्रय वन विभाग, दरियापुर रोड नजीबाबाद, बिजनौर द्वारा उ0प्र0 मूल्य वर्धित कर अध्यादेश–2007 की धारा –59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा दिये गये निर्णय में भी वृक्ष की पतली टहनियों तथा जडें, जो कि जड़ी बूटी नही है तथा केवल जलाने के काम आती है, उ0प्र0 वैट के विज्ञप्ति अनुसूची–1 के कमांक 15 पर अंकित प्रविष्ठि "जलऊ लकडी जिसमें कैस्यूराइना एवं यूकिलिपटिस की टिम्बर शामिल नही है" के अन्तर्गत करमुक्त मानी गई है। यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि उत्तराखण्ड वैट अधिनियम के अन्तर्गत जड़ी बूटी अनुसूची –1 की वस्तु होने के कारण पहले से ही कर मुक्त है। वस्तुतः root तथा टिम्बर का डिक्शनरी अर्थ निम्नवत् हैः–

root- part of plant below ground conveysing nourishment from soil,
timber- wood for building, carpentery etc, piece of wood, beam esp. as rib of vessel, large standing trees, laths,logs, timber,planks posts,tree trunk, wood, forest trees etc.

पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड (उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 मे प्राविधानित कर की दरों की अनुसूची मे वृक्ष की जड़ों (roots) पर कर देयता जलौनी लकड़ी (firewood) की भांति ही निर्धारित की जाती रही है।

अतः वृक्ष की जड़ो को जलौनी लकडी के रुप में मानते हुए ही 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित करना उचित होगा।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0प0सं0 4240 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून।

2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड़ वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।

3— अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।

4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून / कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।

5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6— समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अप अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7—ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।

8—ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार / रूद्रपुर।

9—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करे।

10—श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 2/5 आर्शीवाद इनकले देहरादून।

11—पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूडकी।

12—संख्या—अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधिय / अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दे।

13—इन्टावैट ईन्फो प्रा0 लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001।

14—नेशनल लॉ हाउस बी—2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।

15—नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—15/5 राजनगर गाजियाबाद।

16—लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड़ राजनगर गाजियाबाद।

17—दी होलसेल डीलर्स एसो0 14, आढ़त बाजार देहरादून।

18—कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

19—विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड़, देहरादून।